<u>न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी – जया सैनी, आर.जे.एस.

निर्णय दिनांक – 05.06.2026

फौजदारी प्रकरण संख्या – 571/2016 (324/2019)

CIS No. – CRI. CASE/1562/2016

CNR No. – RJJH020017452016

सरकार बनाम महेश कुमार

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–5/2016–17, आबकारी निरोधक दल, झुंझुनूं शहर

अपराध अंतर्गत धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम

<u>भाग–प्रथम</u>

A

परिवादी	प्रहलाद मीणा, पी.ओ., आबकारी निरोधक दल, झुंझुनूं शहर(राज.)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	महेश कुमार पुत्र सावंतराम, निवासी जीत की ढाणी, पुलिस थाना सदर, जिला झुंझुनूं (राज.)
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री मन्दरूप सिंह

B

अपराध की दिनांक	03.05.2016
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	03.05.2016
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	19.11.2016
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	06.02.2018
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	10.01.2022
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	---
निर्णय दिनांक	05.06.2026
दण्डादेश की दिनांक	---

C

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	महेश	21.09.16	23.09.16	19/54 राज.	संदेह का	---	---

				आबकारी अधिनियम	लाभ दिया जाकर दोषमुक्त		

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	सुरेश सिंह	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू 2	बृजलाल सैनी	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू 3	प्रहलाद मीणा	परिवादी/फर्द जब्ती गवाह/अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू 4	प्रदीप कुमार	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू 5	आरती	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू 6	आशुतोष	अग्रिम अनुसंधान अधिकारी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
	–––	

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी.01	फर्द जप्ती शराब
02	प्रदर्श पी.02	नक्शा मौका घटनास्थल
03	प्रदर्श पी.03	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
04	प्रदर्श पी.04	नमूना सैम्पल एफएसएल भेजने हेतु जारी तहरीर
05	प्रदर्श पी.05	पर्चा धारा 47 आ. अधिनियम
06	प्रदर्श पी.06	चाक एफआईआर
07	प्रदर्श पी.07	फर्द तस्दीक नक्शा मौका
08	प्रदर्श पी.08	गवाह आरती के पुलिस बयान
09	प्रदर्श पी.09	मूवमेंट रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
10	प्रदर्श पी.10	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
11	प्रदर्श पी.11	एफएसएल रिपोर्ट
12	प्रदर्श पी.12	सैम्पल जमा की मालखाना की प्रमाणित प्रति

ब–बचाव पक्ष

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	––

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
1.	कार्टून पर लगी चिट	आर्टिकल 1 से 6

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक: 05.06.2026</u>**

01. पत्रावली दिनांक 25.04.2019 को न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं से अंतरित होकर साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर हाजा न्यायालय को अग्रिम विचारण हेतु प्राप्त हुई।

02. संक्षेप में तहरीर रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 03.05.2016 को प्रहलाद मीणा पीओ, ईपीएफ मय जाब्ता दौराने रेड गश्त के मिली जरिये मुखबीर की गुप्त सूचना के आधार पर गांव जीत की ढाणी में महेश कुमार पुत्र सावंतराम अपने रिहायशी मकान पर अवैध शराब रखता व बेचता है। मुखबीर के बतायेनुसार महेश कुमार के रिहायशी मकान पर पहुंचे। मकान की जाब्ता से घेराबंदी करवाई, कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। आवाज लगाने पर भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आया। आसपास स्वतंत्र गवाह को तलब किया लेकिन कोई बनने को तैयार नहीं आया। जाब्ता में से उक्त गवाहान की नियमानुसार तलाशी लिवाई तो रिहायशी मकान में बने पूर्वमुखी कमरा में 6 गत्ते के कार्टूनों में प्रत्येक में 48–48 पव्वे, कुल 288 पव्वे सादा देशी मदिरा के बरामद हुए। मौके पर एक ही प्रकार के पव्वे शराब होने पर प्रत्येक कार्टून में से एक–एक पव्वा निकालकर गवाहान को दिखाया व सुंघाया। ढक्कन खोलकर देखा तो देशी शराब होना पाया। मौके पर ढक्कन खुले पव्वे को रासायनिक जांच वास्ते लिया तथा बाकी पव्वों को कार्टूनों में रहने दिया। रासायनिक जांच पव्वे पर मार्का ए1 से ए6 व गत्ते के कार्टून पर मार्क ए7 से ए12 कायम कर फर्द बरामदगी व जब्ती मौके पर बनाई जाकर गवाह को पढा सुना समझाकर कर सही मानने पर दस्तख्त करवाए.....इत्यादि।

03. इस रिपोर्ट के आधार पर आबकारी निरोधक दल, झुंझुनूं पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–5/2016–17 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया गया एवं तत्पश्चात अन्य आवश्यक नियमित अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध धारा–

19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का अपराध साबित पाये जाने पर उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

05. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये व पक्षकारान की ओर से पृष्ठ संख्या–02 पर भाग द्वितीय में 'अ', 'ब' व 'स' में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

06. अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए झूठा मुकदमा किया जाना जाहिर किया व साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने से इन्कार किया।

07. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने जाहिर किया कि जब्ती की कार्यवाही करने वाले और न्यायालय में साक्ष्य के लिए उपस्थित आए सभी गवाहों ने कार्यवाही की ताईद की है। प्रकरण काफी पुराना होने से कुछ गवाहों के बयानों में थोड़ा बहुत विरोधाभास आया है तो वह इतना सारवान विरोधाभास नहीं है जिससे कि अभियोजन की समस्त साक्ष्य को ही नकारा जाए। अभियोजन की कहानी पेश किए गए मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से पूर्ण रूप से अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित होती है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित माननीय न्यायिक दृष्टांत पेश किए गएः–

01. Supreme Court of India,
Karamjit Singh vs State (Delhi Administration) on 26 March, 2003

02. Supreme Court of India
Ambika Prasad And Another vs State

08. इसका विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण की फर्द जप्ती ही दूषित है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त को रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है तथा ना ही मकान के स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज पेश किए गए। प्रत्येक कार्टून में से शराब का सैंपल नहीं निकाला गया, जिस कारण यह नहीं माना जा सकता

कि प्रत्येक कार्टून में अवैध शराब ही थी। मौका स्थल के संबंध में भी गवाहान भिन्न–भिन्न बयान दे रहे है। अभियोजन पक्ष के द्वारा फर्द जब्ती शराब प्रदर्श पी–01 संदेह से परे प्रमाणित नहीं की गई है, जिस कारण अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

09. उभय पक्ष को सुनने के उपरांत न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु निम्नलिखित बिन्दु उत्पन्न होते हैंः–

(01) क्या दिनांक 03.05.2016 को समय करीब 07:10 ए.एम. या इसके लगभग मौजा जीत की ढाणी में अभियुक्त के रिहायशी मकान में से 6 गत्ते के कार्टूनों में कुल 288 पव्वे देशी सादा मदिरा के बरामद हुए, जिन्हें रखने बाबत अभियुक्त के पास कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र/लाईसेंस नहीं था?

2. यदि, हां तो अभियुक्त को क्या सजा दी जावे?

10. बहस के तर्कों पर मनन कर, पत्रावली व सुसंगत विधि तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

11. उपरोक्त विचारणीय बिंदु को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 06 गवाहों को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया गया है। हस्तगत प्रकरण में फर्द जप्ती को साबित किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हस्तगत प्रकरण, अभियोजन पक्ष द्वारा जब्ती अधिकारी/रिपोर्टकर्ता प्रहलाद मीणा, पीओ ईपीएफ की रिपोर्ट पर संस्थित किया गया है। उक्त प्रहलाद मीणा को गवाह पी.डब्ल्यू. 03 के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया गया है। उक्त गवाह ने अपने सशपथ न्यायालय बयानों में अभिकथन किए हैं कि दिनांक 03.05.2016 को उसके पास अतिरिक्त चार्ज आबकारी निरोधक दल झुझुनूं शहर में दौराने रेड गश्त बहमराह सिपाही सुरेश कुमार व सिपाही प्रदीप कुमार के साथ गश्त कर रहे थे। दौराने रेड गश्त मुखबीर खास से गुप्त सूचना मिली कि महेश कुमार पुत्र सावताराम निवासी जीत की ढाणी अपने रिहायसी मकान में शराब बेच रहा है। मुखवीर की सूचना के आधार पर तलाशी लेने से पूर्व वास्ते पर्चा 47 रा०आ०अधि० 1950 के तहत कायम किया। मुखबीर की सूचना के आधार पर महेश कुमार के मकान का जाब्ते से घेरा करा कर मकान के मुख्य दरवाजे से आवाज लगाई लेकिन मकान से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आया। आसपास इकट्ठा हुऐ व्यक्तियों में से वास्ते मकान की तलाशी लेने के लिए स्वतंत्र गवाह बनाना चाहा लेकिन कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र गवाह नहीं बनने पर मौजूद जाब्ते में से सिपाही प्रदीप व सुरेश कुमार को बतौर गवाह नियुक्त कर महेश कुमार के मकान की नियमानुसार तलाशी ली तो

मकान के अन्दर पूर्वमूखी कमरे बाकिवाड में छ गत्ते के कार्टून मिले जिनको गवाहों के समक्ष नियमानुसार चैक किया तो उनमें प्रत्येक गत्ते के कार्टून में 48–48 पव्वे देशी शराब राजस्थान निर्मित के भरे मिले। सभी गत्ते के कार्टूनों में एक ही ब्राण्ड की शराब होने के कारण प्रत्येक गत्ते के कार्टून में से एक–एक पव्वा निकाला व छ पव्वों का ढक्कन खोलकर उसने देखा व सुंघा व गवाहों को भी दिखाया व सुंघाया जिसमें राजस्थान निर्मित देशी शराब होना पाया। ढकन खुले पव्वों को वास्ते सैम्पलिंग के उसके व गवाहों के हस्ताक्षर युक्त चिटों से मौके पर सील्ड मोहर किया व क्रमशः मार्क 1 से 6 तक अंक मार्क किया गया और छ गत्ते के कार्टूनों में बाकी शराब को मौके पर ही उसके व गवाहों के हस्ताक्षरयुक्त चिटों से सील मोहर कर क्रमशः 7 से 12 तक मार्क अंकित किया। बाद जब्त शराब को कब्जा राज लिया ओर मौके फर्द जब्ती शराब व नक्शा मौका तैयार किया गया। बाद कार्यवाही जब्तशुदा शराब को कार्यालय में लाकर मालखाने में जमा करवा व अभियोग दर्ज किया। पर्चा 47 प्रदर्श पी 5 है। फर्द बरामदगी व जब्ती शराब प्रदर्श पी 1 व नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 2 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 6 है। शुरूआती अनुसंधान के दौरान गवाह सुरेश सिंह व प्रदीप कुमार के बयान भी लेखबद्ध किये था मुकदमे के नमूना बृजलाल सिपाही के माध्यम से आबकारी प्रयोगशाला भिजवाये गये। तत्पश्चात् इस कार्यालय में आशुतोष बगड़िया का पदस्थापन होने के कारण पत्रावली अनुसंधान हेतु उन्हें दे दी गई। दौराने जिरह गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब्ती तैयार की उस समय महेश मौके पर नहीं था। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि महेश कुमार के कब्जे से उन्होंने कोई शराब जब्त नहीं की। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने जिस मकान से शराब जब्त की उस मकान के स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज नहीं लिया। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उक्त मकान के स्वामित्व बाबत उसने आस पड़ोस के व्यक्तियों व गांव के मौजिज व्यक्तियों के बयान नहीं लिए। जिस समय उसने मकान से शराब बरामद की थी उस समय मकान में कोई नहीं था। जहां से शराब बरामद की थी वह खुला स्थान था खुले स्थान पर आम आदमी की पहुंच संभव थी।

12. गवाह पी.डब्ल्यू. 1 सुरेश सिंह, जो दौराने रेड गश्त उपस्थित था, ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किए हैं कि वह दिनांक 03.05.16 को आबकारी थाना झुझुनूं शहर में सिपाही के पद पर कार्यरत था। उस दिन पीओ प्रहलाद मीणा के साथ समय 7.10 एएम पर थाने से रेड गस्त रवाना होकर प्रहलाद मीणा को गुप्त सूचना मिली कि जीत की ढाणी में महेश कुमार पुत्र सांवतराम जांति मीणा अपने रिहायशी मकान में अवैध शराब रखता है व बेचता है। मुखबीर की इत्तला पर पीओ प्रहलाद मीणा मय जाब्ता महेश

कुमार के गांव जीत की ढाणी में महेश कुमार के मकान के पास पहुंचे व मकान की घेराबन्दी करवाई व आस पास के लोगों को स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कहा लेकिन अपनी अपनी मजबूरी बताकर स्वतंत्र गवाह बनने से मना कर दिया। जाब्ते में से ही उसे व सिपाही प्रदीप कुमार को गवाह बनाकर कार्यवाही शुरू की। महेश कुमार के घर के बाहर आवाज लगाई कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं आया जिस पर महेश कुमार के घर में घुसकर मकान में बने पूर्वमुखी कमरे में प्रवेश किया तो 6 गत्ते के कार्टून मिले जिनको खोल कर देखा तो प्रत्येक कार्टून में 48–48 पव्वे देशी मदिरा राजस्थान निर्मित के भरे हुए मिले। प्रत्येक कार्टून में से एक पीओ ने एक पव्वे को खोलकर शराब निकाल कर उन्हें दिखाया व सुंघाया तो सादा देशी मदिरा राजस्थान निर्मित होना पाया गया। प्रत्येक कार्टून में से एक एक पव्वा बतौर नमूना सैम्पल निकाल कर मौके पर सील्ड मोहर किया व मार्क ए 1 से ए 6 अंकित किया व शेष शराब को कार्टूनों में ही रहने दिया जिसे सील्ड मोहर कर मार्क ए 7 से ए 12 अंकित किया। मौके पर घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। महेश कुमार व उसके परिवार के कोई सदस्य घर पर नहीं मिले। मौके पर फर्द बरामदगी तैयार की गई जो प्रदर्श पी 1 है। नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी 2 है। मुलजिम महेश कुमार की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 3 है। जब्तशुदा शराब को पीओ हमराह जाब्ता साथ लेकर थाने पर आये व अभियोग दर्ज किया। दौराने जिरह गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जिस मकान से उन्होंने अवैध देशी मदिरा जब्त की है उस मकान के मालिकाना हक बाबत कागजात उसके सामने पीओ साहब ने नहीं देखे। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि जिस मकान से उन्होंने अवैध देशी मदिरा की जब्ती की थी वह मकान मुलजिम महेश कुमार का ही हो, इसकी आस पास के पड़ोसियों से भी पूछताछ नहीं की। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उन्होंने मौके पर अवैध देशी मदिरा की बरामदगी मुलजिम महेश के कब्जे से नहीं की।

13. गवाह पी.डब्ल्यू. 4 प्रदीप कुमार, जो दौराने रेड गश्त उपस्थित था, ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किए हैं कि वह दिनांक 03.05.16 को आबकारी थाना झुझुनूं शहर में सिपाही के पद पर कार्यरत था। उस दिन पीओ प्रहलाद मीणा के साथ समय 7.10 एएम पर थाने से रेड गश्त रवाना होकर प्रहलाद मीणा को गुप्त सूचना मिली कि जीत की ढाणी में महेश कुमार पुत्र सांवतराम अपने रिहायसी मकान में अवैध शराब रखता है व बेचता है। तलाशी से पूर्व धारा 47 आ०अधिनियम का पर्चा भरा गया। मुखबीर की इत्तला पर पीओ प्रहलाद मीणा मय जाब्ता महेश कुमार के गांव जीत की ढाणी में महेश कुमार के मकान के पास पहुंचे व मकान की घेराबन्दी करवाई व आस पास के लोगों को स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कहा लेकिन अपनी–अपनी मजबूरी बताकर

स्वतंत्र गवाह बनने से मना कर दिया। जाब्ते में से ही उसे व सिपाही सुरेश कुमार को गवाह बनाकर कार्यवाही शुरू की। महेश कुमार के घर के बाहर आवाज लगाई कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं आया जिस पर महेश कुमार के घर में घुसकर मकान में बने पूर्वमुखी कमरे में प्रवेश किया तो 6 गत्ते के कार्टून मिले जिनको खोल कर देखा तो प्रत्येक कार्टून में 48–48 पव्वे देशी मदिरा राजस्थान निर्मित के भरे हुए मिले। प्रत्येक कार्टून में से एक पीओ ने एक पव्वे को खोलकर शराब निकाल कर उन्हें दिखाया व सुंघाया तो सादा देशी मदिरा राजस्थान निर्मित होना पाया गया। प्रत्येक कार्टून में से एक एक पव्वा बतौर नमूना सैम्पल निकालकर मौके पर सील्ड मोहर किया व मार्क ए1 से ए6 अंकित किया व शेष शराब को कार्टूनों में ही रहने दिया जिसे सील्ड मोहर कर मार्क ए7 से ए12 अंकित किया। मौके पर घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। महेश कुमार व उसके परिवार के कोई सदस्य घर पर नहीं मिले। मौके पर फर्द बरामदगी तैयार की गई जो प्रदर्श पी 1 है। नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी 2 है। मुलजिम महेश कुमार की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 3 है। जब्तशुदा शराब को पीओ हमराह जाब्ता साथ लेकर थाने पर आये व अभियोग दर्ज किया। दौराने जिरह गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जहां से उन्होंने शराब बरामद की थी वह खुला स्थान है तथा वहां पर आम आदमी की पहुंच संभव थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जिस मकान से उन्होंने अवैध देशी मदिरा जब्त की है उस मकान के मालिकाना हक बाबत कागजात उसके सामने पीओ साहब ने नहीं देखे। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उन्होंने मौके पर अवैध देशी मदिरा की बरामदगी मुलजिम महेश के कब्जे से नहीं की।

14. गवाह पी.डब्ल्यू. 6 आशुतोष, प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं द्वारा किए गए समस्त अग्रिम अनुसंधान की ताईद की है तथा दौराने अनुसंधान स्वयं द्वारा निर्मित समस्त फर्दातों को प्रदर्शित कराया है तथा बाद आवश्यक अनुसंधान उसने महेश कुमार के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने बाबत साक्ष्य प्रदत्त की है। दौराने जिरह गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उक्त प्रकरण में ना ही उसने वजह सबूत जब्त किया था, ना ही उसने पूर्ण अनुसंधान किया है।

15. गवाह पी.डब्ल्यू. 2 बृजलाल सैनी ने अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं के दिनांक 12.05.2016 को आबकारी थाना झुंझुनूं शहर में सिपाही के पद पर कार्यरत होने, उस दिन अभियोग संख्या 5/16–17 में जब्तशुदा अवैध सादा देशी मदिरा के 6 नमूना

सैम्पल रासायनिक जांच हेतु पीओ प्रहलाद मीणा ने एफएसएल जयपुर में जमा करवाने हेतु जारी तहरीर प्रदर्श पी 4 होने बाबत साक्ष्य प्रदत्त की है।

16. गवाह पी.डब्ल्यू. 5 आरती ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी की कोई ताईद नहीं की है जिससे अभियोजन पक्ष के निवेदन पर उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने अधिवक्ता अभियुक्त जिरह में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि महेश पुत्र सावंतराम के मकानात को आजतक नहीं देखा।

17. अवैध शराब के कब्जे के मामले में सर्वप्रथम बरामदगी के तथ्य का साबित होना अत्यंत आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की रोशनी में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो अभियोजन की ओर से प्रस्तुत बरामदगी का प्रमुख गवाह जब्ती अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी प्रहलाद मीणा पी.डब्ल्यू. 3 ने अपनी साक्ष्य में वरवक्त घटना अभियुक्त के कब्जेशुदा मकान से बरामदगी होना बताया है किन्तु बयानों में अभियुक्त के वरवक्त घटना मौजूद नहीं होने बाबत भी साक्ष्य प्रदत्त की है तथा बरामदगी की संपूर्ण कार्यवाही की ताईद किए जाने बाबत भी साक्ष्य प्रदत्त की है। दौराने जिरह गवाह ने इस सुझाव को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जब्ती तैयार की उस समय महेश मौके पर नहीं था। महेश कुमार के कब्जे से उन्होंने कोई शराब जब्त नहीं की। इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा मुख्य परीक्षण व जिरह में समान रूप से कथन कारित करते हुए अभियुक्त के कब्जे से कोई शराब बरामद नहीं होने बाबत कथन किए हैं। गवाह द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट में अभियुक्त के कब्जेशुदा मकान से अवैध शराब बरामद होने का कथन किया है जिसके संबंध में गवाह ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने जिस मकान से शराब जब्त की उस मकान के स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज नहीं लिया। गवाह द्वारा उक्त स्थान को खुला स्थान होना भी बताया है जिसकी पहुंच आम आदमी तक होना बताया है जिसके संबंध में प्रकट होता है कि उक्त गवाह द्वारा बरामदगी तो होना बताया है किन्तु उक्त बरामदगी अभियुक्त के कब्जेशुदा मकान से होकर अभियुक्त के कब्जे से ही की गई हो, प्रमाणित नहीं कर पाया है जिससे जब्तीस्थल व अभियुक्त की उपस्थिति संदेह से परे प्रमाणित नहीं है।

18. इसी क्रम में जब्ती के अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 1 सुरेश सिंह व पी.डब्ल्यू. 4 प्रदीप कुमार, जो वरवक्त घटना दौराने रेड गश्त मौजूद थे, ने अपने मुख्य परीक्षण में तो संपूर्ण जब्ती की कार्यवाही की ताईद की है तथा अनुसंधान अधिकारी/जब्ती अधिकारी के समरूप ही कथन कारित किए हैं। दौराने जिरह गवाहान ने समरूप कथन कारित करते हुए इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उन्होंने मौके पर अवैध देशी मदिरा की बरामदगी

मुलजिम महेश के कब्जे से नहीं की। इससे यह प्रकट होता है कि उक्त जब्तशुदा शराब अभियुक्त की ही हो, यह साबित नहीं होता है। साथ ही गवाह प्रदीप कुमार ने जिरह में उक्त जब्तीस्थल को खुला स्थान बताया है तथा वहां पर आम आदमी की पहुंच होने की संभावना होना बताया है तथा उक्त जब्तीस्थल अभियुक्त के स्वामित्व का हो, इस संबंध में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किए जाने बाबत कथन किए हैं, ऐसे में उक्त गवाहान के बयानों से जब्तीस्थल व बरामदगी दोनों ही संदेहास्पद होती हैं। इस संबंध में नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 2 का अवलोकन किया जावे तो मार्क एक्स स्थान से जब्तशुदा शराब बरामद होना बताया है तथा उसके अतिरिक्त उक्त मकान के पास अन्य मकान व रसोई होना भी बताया है तथा वरवक्त घटना उक्त मकान में कोई मौजूद भी नहीं था। ऐसे में यह भी साबित नहीं होता है कि उक्त मकान शामलाती है या अभियुक्त का स्वयं का कब्जेशुदा मकान है, इसके संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं की गई है। ऐसे में नक्शा मौका में वर्णित मकान अभियुक्त का ही हो तथा जब्तशुदा शराब भी अभियुक्त की हो, यह साबित नहीं होता है। प्रकरण में परीक्षित एकमात्र स्वतंत्र गवाह पी.डब्ल्यू. 5 आरती ने भी अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी की कोई ताईद नहीं की है जिससे अभियोजन पक्ष के निवेदन पर उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में भी गवाह ने अभियुक्त के मकान को आजतक नहीं देखने बाबत कथन किए हैं। ऐसे में उक्त गवाह की साक्ष्य से अभियोजन कहानी को कोई बल मिलता हुआ प्रतीत नहीं होता है। साथ ही हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त को मौके से भी गिरफ्तार नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि उक्त जब्तशुदा शराब अभियुक्त की ही हो। जहां से शराब बरामदगी की जानी बताई गई है उसके संबंध में किसी भी गवाह द्वारा कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अभियुक्त के कब्जे से भी शराब बरामद होने का तथ्य पत्रावली पर अंकित नहीं है। ऐसे में उक्त जब्तशुदा अवैध शराब अभियुक्त की हो, ऐसा अभियोजन पक्ष संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

19. आपराधिक विधि शास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अभियुक्त पर दाण्डिक दायित्व अधिरोपित करने के लिए मामले को संदेह से परे साबित करना होता है एवं हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 03.05.2016 को समय करीब 07:10 ए.एम. या इसके लगभग मौजा जीत की ढाणी में अभियुक्त के रिहायशी मकान में से 6 गत्ते के कार्टूनों में कुल 288 पव्वे देशी सादा मदिरा के बरामद हुए, जिन्हें रखने बाबत अभियुक्त के पास कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र/लाईसेंस नहीं था। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त महेश

कुमार को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

––००आदेश००––

20. परिणामस्वरूप अभियुक्त **महेश कुमार पुत्र सावंतराम,** निवासी जीत की ढाणी, पुलिस थाना सदर, जिला झुंझुनूं (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

21. अभियुक्त की उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभू एवं बंधपत्र तत्क्षण भर से उन्मोचित किए जाते हैं। अभियुक्त द्वारा धारा 437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 06 माह की अवधि के लिए राशि 10,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी राशि की प्रतिभू प्रस्तुत करे।

22. प्रकरण में जब्तशुदा माल का बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

(जया सैनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

23. निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक 05.06.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखवाया जाकर, हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(जया सैनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं